

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

पश्चिम क्षेत्रीय समिति

पत्र क्रमांक 62-3538/3348/3177/सू0अ0/2014 - 119903



National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

Western Regional Committee

दिनांक 12.07.2014

प्रति,

✓ श्री अब्दुल करीम
C/o दीनदयाल नगर,
ग्वालियर
(म.प्र.)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील के अंतर्गत चाही गयी जानकारी विषयक।

संदर्भ:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके ई-मेल दिनांक 31.05.2014 / 27.06.2014, 28.06.2014 एवं पत्र दिनांक 27.06.2014 / 04.07.2014

महोदय,

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है, कि आवेदक द्वारा पूर्व पत्रों में अलग-अलग निम्न पत्तों पर जानकारी चाही गयी थी।

- 1) श्री अब्दुल करीम -60, थाठीपुर, ग्वालियर, (म.प्र.)
- 2) श्री अब्दुल करीम -छोटी बडरिया, मुरैना, (म.प्र.)
- 3) श्री अब्दुल करीम, C/o दीनदयाल नगर, ग्वालियर, (म.प्र.)

आवेदक द्वारा उक्त पते (श्री अब्दुल करीम -छोटी बडरिया, मुरैना, (म.प्र.)) पर जानकारी पत्र क्रमांक 62-3538/3348/3177/सू0अ0/2014/119047 दिनांक 13.06.2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित की गयी थी परन्तु आपके पत्र में जो पता दर्शाया गया था वह अपूर्ण होने के कारण पत्र कार्यालय में वापिस प्राप्त हो गया।

अतः आवेदक द्वारा उपर्युक्त समस्त पत्रों में अलग-अलग व अपूर्ण पते दर्शाये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उपरोक्त पत्रों में जानकारी एक ही व्यक्ति द्वारा मांगी गयी है या अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा तथ्यों को जानने हेतु मांगी गयी है। अतः आवेदक मेल द्वारा अपना पहचान पत्र जिससे की पहचान व पत्राचार का पूर्ण व स्पष्ट पता दिया हो अवश्य प्रेषित करें।

P/O

RD

US

RO

SO

PC



(सुनील श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रथम अपीलीय अधिकारी